कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग
Phone/Fax- 01363-244204 Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 1553 /10LA. दिनांक 21/8/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्का बैण्ड हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण 0.595 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 309/12–1 दिनांक, गोपेश्वर जुलाई 14/2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नलिखित हैः–

क्र.सं.	आपत्तियां	निराकरण
1	प्रस्ताव में संलग्न किये गये पत्रों में प्रारूप सं0 अंकित किया जाय तथा वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मार्ग दर्शिका 2014 के अनुसार प्रारूप 25 का प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाय।	प्रस्ताव में प्रारूप संख्या अंकित कर दी गयी है एवं प्रारूप 25 का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
2	ग्रामसभा चूलाकोट तथा स्वर्का का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाय।	ग्रामसभा स्वर्का, चूलाकोट ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आती है जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में लाभान्वित ग्रामों की अपूर्ण सूचना प्रेषित की गयी है। लाभान्वित ग्रामों के परिवारों की संख्या व उनकी जनसंख्या अंकित की जाय।	प्रस्ताव में लाभान्वित ग्रामों के परिवारों की संख्या एवं जनसंख्या अंकित कर दी गयी है।
4	वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ द्वारा वृक्षों की सूची में वन पंचायत रतूड़ा दिखाया गया है जबकि प्रस्ताव के लैण्ड शैड्यूल में सिविल भूमि/वन पंचायत दिखाया गया है जिससे वनभूमि की विधिक स्टेटस के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रभावित वनभूमि का विधिक स्टेटस क्या है तथा भ्रामक की स्थिति बनी है। उक्त के सम्बन्ध में आप अपने सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ व राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षक के साथ स्थलीय निरीक्षण कर भूमि की विधिक स्थिति स्पष्ट करें तथा निर्धारित प्रपत्र में सही अंकित कर सूचना इस कार्यालय को चार प्रतियों में ऑफ लाईन एवं ऑनलाईन उपलब्ध करायें।	ग्राम रतूड़ा में प्रस्तावित वनभूमि वन पंचायत भूमि है जिसको लैण्ड शैड्यूल एवं बार चार्ट में दर्शा दिया गया है।
5	प्रस्ताव में संलग्न वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने के प्रमाण पत्र में प्रताणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हो रहा है, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र में निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने का उल्लेख कर दिया गया है।

अतः आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव 04 प्रतियों में पुनः प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner